न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 79/2023 निर्णय दिनांक 14.03.2024

ऑनलाईन 2023/159

महेश कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकोनर।

–प्रार्थी–

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

1. पूनमचन्द मारू अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर.एक्ट।</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की खरीदशुदा खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1560/1497 तादादी 0.2529 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। इस खेत को प्रार्थी ने पूर्व खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया था, खरीद करने के बाद विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज हो गई तथा नक्शा एक्स में भी प्रार्थी के खेत को तरमीम कर दिया गया। यह है कि नक्शा (चुनड़ी) में प्रार्थी के उक्त खातेदारी खेत की तरमीम सही तरीके से की गई, परन्तु जब राजस्व रेकार्ड को ऑनलाईन किया गया तो प्रार्थी के खेत का नक्शा भी ऑनलाईन किया गया, ऑफलाईन नक्शा से ऑनलाईन करते समय प्रार्थी के खेत की उतरी सीमा को संकड़ा (कम) कर दिया, जिससे एन.एच. 11 पर ऑनलाईन नक्शा के मुताबिक प्रार्थी की जमीन कम हो गई, जबकि मौके पर विक्रय पत्र के मुताबिक प्रार्थी की जमीन कम हो गई, जबकि मौके पर विक्रय पत्र के मुताबिक व ऑफलाईन नक्शा में प्रार्थी की जमीन की गई तरमीम के मुताबिक कब्जा उपयोग–उपभोग चला आ रहा है। अप्रार्थी के महातत कर्मचारियों ने रेकार्ड व नक्शा को ऑनलाईन करते समय प्रार्थी के खेत की उतरी सीमा को संकड़ा (कम) कर दिया गया। प्रार्थी अपनी जमीन का भू–रूपान्तरण करवाना चाहता है, परन्तु ऑनलाईन नक्शा में उतरी सीमा जो एन.एच. 11 के लगती है, संकड़ी (कम) दशाई होने से नक्शा में प्रार्थी के खेत का फ्रन्ट कम हो गया है और नक्शा मौके पर कब्जा उपयोग–उपभोग की जा रही जमीन से मेल नहीं खा रहा है, इसलिये प्रार्थी को अपनी जमीन का भू–रूपान्तरण करवाने में परेशानी हो रही है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से निवेदन किया कि ऑनलाईन नक्शा को दुरूस्त कर ऑफलाईन नक्शा में प्रार्थी के खेत की गई तरमीम के अनुसार प्रार्थी के खेत की सीमाएं कर दी जावे तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को दिनांक 01.02.2023 को कहा कि मै कुछ नहीं कर सकता, आप न्यायालय से आदेश लाओं, तब ऑनलाईन आपके खेत का नक्शा सही कर दिया जावेगा, तब प्रार्थी न्यायालय के समक्ष आया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत [illegible] प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1560/1497 तादादी 0.2[illegible] हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ के ऑनलाईन नक्शा में प्रार्थी के खेत की [illegible] विक्रय [illegible] के मुताबिक व प्रार्थी के खेत की ऑफलाईन नक्शा (नक्शा [illegible]) में [illegible] के मुताबिक दुरूस्त कर[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.03.20 12:38:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी के खेत की सीमाओ के ऑनलाईन नक्शा में सही करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जावे ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्टेट की ओर से राजपैराकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नंबर 1560/1497 तादादी 0.2529 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ के ऑनलाईन नक्शा मे उतरी सीमा 66 मीटर दर्शाई हुई है, जो कि मौके पर 75 मीटर है को मौकानुसार नक्शा तरमीम कर दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 14.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.03.20 12:38:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner